रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022025-260985 CG-DL-E-13022025-260985

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

No. 739]

HI, IHUKSDAI, FEDKUAKI 15, 2025/MAGHA 24, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 743(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक बैंक लिमिटेड की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (कोर बैंकिंग सोल्यूशन), वास्तविक समय समग्र निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच) से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं उनसे सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, कर्नाटक बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कर्नाटक बैंक लिमिटेड का कोई अभिहित कर्मचारी:
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए कर्नाटक बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, कर्नाटक बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एए-14/2/2025-सीएसडी] सविता उतरेजा, वैज्ञानिक जी

1104 GI/2025 (1)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

- **S.O.** 743(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution (CBS), Real Time Gross Settlement (RTGS) and Unified Payments Interface (UPI) Switch, being Critical Information Infrastructure of the Karnataka Bank Limited, and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—
 - (a) any designated employee of the Karnataka Bank Limited authorised in writing by the Karnataka Bank Limited to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Karnataka Bank Limited for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Karnataka Bank Limited on case-to-case basis.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. AA-14/2/2025-CSD]

SAVITA UTREJA, Scientist G